सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-11

सोमवार, दिनांक-14 मार्च, 2022 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:44 बजे अपराह्न तक।

[1] **प्रश्नकाल :-**

(i) 05 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।

(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।

(iii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।

(iv) 06 तारांकित प्रश्न उत्तरित।

(v) 05 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।

(vi) 109 तारांकित प्रश्न अनागत।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-67 के निस्तारण के दौरान पूरक प्रश्न पूछे जाने पर स्पष्ट उत्तर अप्राप्त होने की स्थिति में आसन द्वारा प्रश्न को स्थगित करने का निदेश दिया गया, इसके उपरांत दूसरे प्रश्न पर चर्चा शुरू हो गई ।

इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि इस मामले की पूरी जाँच चल रही है। यह पुलिस का काम है। जाँचोपरान्त जाँच रिपोर्ट दिया जायेगा । यह सदन का मामला नहीं है।

आसन द्वारा कहा गया कि आसन से माननीय सदस्यों को संरक्षण दिया जाता रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले को आप गंभीरता से दिखवा लें।

[2] **कार्यस्थगन प्रस्ताव :-**

माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री सत्यदेव राम, श्री मनोज मंजिल, श्री महा नंद सिंह, श्री सुदामा प्रसाद, श्री रामबली सिंह यादव, श्री सुर्यकान्त पासवान, श्री अजय कुमार, श्री इजहारूल हुसैन, श्री मो० अनजार नईमी एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्रीमती गायत्री देवी
(ii) श्री अरूण शंकर प्रसाद
(iii) श्रीमती नीतु कुमारी
(iv) श्री सुर्यकान्त पासवान
(v) श्री विजय कुमार खेमका
(vi) श्री अजय कुमार
(vii) श्री सत्यदेव राम
(viii) श्री मनोज मंजिल
(ix) श्री ललित नारायण मंडल
(x) श्री ललन कुमार
(xi) डॉ० निक्की हेम्ब्रम
(xii) श्री मुरारी मोहन झा
(xiii) श्री रामबली सिंह यादव
(xiv) श्रीमती भागीरथी देवी
(xv) श्री इजहारूल हुसैन
(xvi) श्री महा नंद सिंह
(xvii) श्री मोती लाल प्रसाद
(xviii) श्री संदीप सौरभ
(xix) मो० अनजार नईमी
(xx) श्री संजय सरावगी
(xxi) श्री समीर कुमार महासेठ
(xxii) श्री अमरजीत कुशवाहा
(xxiii) श्रीमती रश्मि वर्मा
(xxiv) श्री पवन कुमार यादव
(xxv) श्रीमती प्रतिमा कुमारी
(xxvi) श्री सुदामा प्रसाद
(xxvii) श्री सुरेन्द्र मेहता
(xxviii) श्री विद्या सागर केशरी
(xxix) श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी

[4] आसन का संदेश :-

पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा कहा गया है कि संविधान और कानून दोनों का अपना महत्व है, लेकिन लोकतंत्र एक ढांचामात्र बनकर रह जाए, एक कर्मकांड में बदल जाए, उसकी प्राण शक्ति घट जाए, तो वहाँ कठिनाई पैदा हो जाती है। प्राण शक्ति को घटने न देना यह हम सबकी जिम्मेवारी है। हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अवमूल्यन और क्षरण नहीं होने देना है। जनप्रतिनिधियों की शाख नहीं घटनी चाहिए। जनप्रतिनिधि संस्थाओं की विश्वसनियता में कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र का पौधा मजबूत है, लेकिन ऐसा न हो कि वह ऊपर-ऊपर बढ़ता जाए पर उसकी जड़े खोखली होती जाए। यह कर्तव्य हमारे सामने है।

माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सुझाव आया है उसे आसन ने ग्रहण किया है। आसन अगर संविधान और नियम से इतर हो रहा है तो आप सभी वरीय सदस्यों से आग्रह है कि आप अपना बहुमूल्य सुझाव निश्चित तौर पर दें, आसन उसे ग्रहण करेगा।

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं अन्य सभासदों का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तथा दिनांक 07 मार्च, 2022 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा विस्तार से दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी एवं अन्य सभासदों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित तथा दिनांक 07 मार्च, 2022 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के लिए माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा समय की मांग की गयी।

(iii) माननीय सदस्य, श्री निरंजन कुमार मेहता एवं अन्य सभासदों का समाज कल्याण विभाग से संबंधित तथा दिनांक 09 मार्च, 2022 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा दिया गया।

(iv) माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

(iv) माननीय सदस्य, श्री ललन कुमार एवं अन्य सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री ललन कुमार द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

तत्पश्चात सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.01 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[6] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-05 (उद्योग विभाग; पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं पर्यटन विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान:-

माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से उद्योग विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

अनुदान की माँग एवं कटौती प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

1.	श्री संजय सरावगी	2.	श्री ऋषि कुमार
3.	श्री सिद्धार्थ पटेल	4.	श्री शकील अहमद खाँ
5.	श्री कुंदन कुमार	6.	मुहम्मद इजहार असफी
7.	श्रीमती ज्योति देवी	8.	श्री राजू कुमार सिंह
9.	श्री अजय कुमार	10	श्री सुर्यकान्त पासवान
11.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	12.	श्री भारत भूषण मंडल
13.	श्री आबिदुर रहमान		

तदुपरान्त माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्री मो० जमा खान द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित सरकार की योजना को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, श्रीमती रेणु देवी द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित सरकार की योजना को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तदुपरान्त माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा उद्योग विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[7] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 51 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-15 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-14.03.2022

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।